(2026/60)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत

कमांक/कोर्ट/2026/80 दिनांक 19.05.2026

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू.राजस्व. अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2026

दिनांक 19/5/2026

आदेश

तहसीलदार देलदर के जरिये पत्रांक/एल.आर./2025/1201 दिनांक 08.10.2025 में बिन्दु संख्या 1 में अकन है कि ग्राम मुदरला के खसरा नं. 605/1 नाम.सं. 985 द्वारा आवासीय रूपान्तरण होने से दिनांक 03.07.2012 को किस्म नहरी से आवासीय दर्ज हुआ है। उसके पश्चात जमाबंदी संवत् 2067–2070 में किस्म आबादी का नोट लगा हुआ है तत्पश्चात अगली चौसाला जमाबंदी संवत् 2071–2074 में खसरा नंबर 605/1 में टंकण त्रुटिवश आबादी अमल दरामद नही होना प्रतीत हुआ। बिन्दु संख्या 2 में अंकन है कि ग्राम मुदरला के खसरा नंबर 812/609 नाम.स. 888 द्वारा आवासीय रूपान्तरण होने से दिनांक 27.08.2011 को किस्म नहरी से आवासीय दर्ज हुआ है। उसके पश्चात जमाबंदी संवत् 2067–2070 में किस्म आबादी का नोट लगा हुआ है तत्पश्चात अगली चौसाला जमाबंदी संवत् 2071–2074 में खसरा नंबर 812/609 में टंकण त्रुटिवश आबादी अमल दरामद नही होना प्रतीत हुआ।

उक्त प्रकरण में किस्म नहरी के स्थान पर आबादी दर्ज करने की शुद्धि हेतु प्रकरण अनुशंषा सहित प्रेषित किया गया है। तहसीलदार देलदर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम मुदरला एव भू.अ.निरीक्षक वृत्त आबूपर्वत तहसील देलदर जिला सिरोही की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मुदरला	584	खसरा संख्या 812/609, किस्म नहरी 2	खसरा संख्या 812/609, किस्म आबादी
2.		396	खसरा संख्या 605/1, किस्म नहरी 1	खसरा संख्या 605/1, किस्म आबादी

(डॉ. अंशु प्रिया)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत
दिनांक 19.05.2026

कमांक/कोर्ट/2026/80

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार देलदर को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावें।
2. प्रार्थी श्री ....।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत